28.6.22 उभय पक्ष ... ...तीन अधिकार ... कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / ...रित है अतः पत्रावली दिनांक 12.7.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

12.7.22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 29.7.22 को पेश हो।

29.7.22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251-A के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं. 1274/1231 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि ग्राम आलमास परवार हल्का आलमास तहसील माण्डल मे स्थित है, उक्त भूमि मे आवागमन एव कृषि यन्त्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी सं. 533 रकबा 0.2023 हैक्टेयर बिलानाम भूमि मे से पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे प्रार्थीया का आराजी सं. 1274/1231 तक 30 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थिया की बहस पर मनन किया एंव तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पाेट का अध्ययन व मनन किया। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है; अतः

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
:: आदेश ::	

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया की आराजी ग्राम आलमास पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 1274/1231 रकबा 0.4047 हेक्टेयर भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी नं. 539 रकबा 0.2023 हेक्टेयर बिलानाम सरकारी भूमि मे से पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थिया की आराजी नं. 1274/1231 तक दिये जाने का आडेश दिया जाता है. 20 फीट चौड़ाई के रास्ते के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थिया से प्राप्त कर अप्रार्थी को भुगतान करे। अप्रार्थी यानि बिलानाम सरकारी भूमि रास्ते मे आवी वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जाकर भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखवा जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा